फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/143) **श्री हीरा गुर्जर बनाम श्री लाडू गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.01.2025	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सम्पतलाल बोहरा, परमेश्वर पंड्या - वकील अपीलार्थी 2. श्री रामलाल मेघवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 **अनवान** **1. श्री हीरा पिता श्री किशना गुर्जर, निवासी भूरवाड़ा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. श्री लाडू पिता श्री लच्छु गुर्जर, निवासी डांगडी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।** **2. श्रीमती बालु पुत्री श्री रायमल पत्नि श्री शिवानी गुर्जर, निवासी भूरवाड़ा हाल डांगडी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।** **3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री श्री रायमल गुर्जर, निवासी भूरवाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।** **4. स्रपंच ग्राम पंचायत पारड़ी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, बप्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 11.09.2023 (अनवान श्री लाडू बनाम श्री हीरा व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 01.01.2025 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, बप्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 11.09.2023 (अनवान श्री लाडू बनाम श्री हीरा व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ समक्ष वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्री लाडू द्वारा ग्राम पंचायत पारडी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 10.09.1961 पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 51 निर्णय दिनांक 12.05.1974, पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 24.12.1976 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के पेश कर निवेदन किया कि श्री लाडू के नाना श्री चतुर्भुज पिता श्री नानजी गुर्जर के खातेदारी की भूमि हस्ब रसद जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 ग्राम भूरवाड़ा पटवार मण्डल पारडी तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 8 खसरा संख्या 66, 124, 128, 151, 152, 173, 176, 177, 185, 186, 187, 339, 342, 344/2 कुल किता 14 कुल क्षेत्रफल 45 बीघा 05 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 72, 139, 143, 167, 168, 192, 193, 194, 202, 203, 373, 376, 378 कुल किता 6.9700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। श्री लाडू के नाना श्री चतुर्भुज के दौ पुत्र श्री किशना एवं वगता थे, श्री चतुर्भुज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/143) **श्री हीरा गुर्जर बनाम श्री लाडू गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के देहान्त उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा केवल श्री किशना के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 21 स्वीकृत कराया गया, जबकि उसके एक पुत्र श्री वगता के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं कराया गया। वगता की मृत्यु उपरान्त उसकी एक मात्र वारिस उसकी पुत्री घीसी थी और श्री लाडू धीसी का पुत्र है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने दोरान अधिकारी द्वारा वारिसान की जांच नहीं की गई। उक्त नामान्तरकरण केवल एक पुत्र के नाम स्वीकृत किया गया, न ही नामान्तरकरण से पूर्व वारिसान को सूचना दी गई। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी श्री वगता के वारिसान श्री लाडू को कभी नहीं थी, दिनांक 30.11.2021 को नकल लेने एवं कानूनी सलाह लेने उपरान्त यह अपील पेश की गई। उक्त नामान्तरकरण आरम्भ से ही शुन्य एवं प्रभावहीन है और उसके उपरान्त पारित अन्य नामान्तरकरण संख्या 51 निर्णय दिनांक 12.05.1974 एवं नामान्तरकरण संख्या 68 निर्णय दिनांक 24.12.1976 भी अपने आप में शुन्य प्रभावहीन है। अतः विवादित भूमि में श्री लाडू के नाना की भूमि के जो हिस्सा 1/2 बनता है, उस अनुसार विवादित भूमि का 1/2 हिस्सा उसके नाम दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

- अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ द्वारा उक्त अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 11.09.2023 से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार, देवगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि मृतक चतुर्भुज पिता श्री नाना गुर्जर के विधिक वारिसान की जांच की जाकर समस्त हितबद्ध पक्षकारान को सुनकर बाद जांच नये सिरे से नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 11ण्09ण्2023 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाधित अपील पेश की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पेश किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 19.12.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी-1 उपस्थित। अन्य रेस्पोडेंटस् की ओर से बावजुद सूचना कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सूनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस पेश। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा लिखित बहस पेश करने का भी अवसर चाहा गया। अवसर दिया गया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा लिखित बहस दिनांक 24.12.2024 को पेश।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के अंकित कथनों को दोहराते हुए लिखित एवं मौखिक बहस प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत अपील पर तामिलें नहीं होने पर भी एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त आलौच्य नामान्तरकरण की अपील अधीनस्थ न्यायालय समक्ष 63 साल बाद पेश की गई, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना कोई विनिश्चय किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जबकि मयाद का बिन्दु सर्वप्रथम निर्धारित किया जाना आवश्यक है, जो नहीं किया गया। ऐसे में अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्त के है। तीन नामान्तरकरण की एक ही अपील पेश की गई जबकि तीनों नामान्तरकरण की अलग अलग अपील किया जाना प्रावधित है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष जो सजरा प्रस्तुत किया गया है, वह सही नहीं है। चतुर्भुज के पुत्र किशना के पुत्र एवं पुत्रियां सजरा में गलत प्रस्तुत की गई है। किशना के चार पुत्रियां हुई परन्तु सजरे में यह नहीं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/143) **श्री हीरा गुर्जर बनाम श्री लाडू गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बताया गया। वगता की पुत्री धीसी को बताया गया तथा वगता के तथाकथित पुत्री लाऔलाद फौत हुई थी एवं लच्छु दुसरी औरत नाते लाया उसे लाडू का जन्म हुआ, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वगता का वारिस मानते हुए जो निर्णय दिया है, वह काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उत्तराधिकार से संबंधित जटिल विवाद बिन्दु था, जिसे नामान्तरकरण जैसी समरी कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है, यह जटिल बिन्दु घोषणात्मक वाद की कार्यवाही में ही तय कराया जा सकता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये-

1. आरआरटी 2014(1) पेज 248
2. आरआरटी 2008(1) पेज 440
3. आरआरटी 2011(1) पेज 421
4. आरबीजे 2007 पेज 111
5. 9 डीएनजे (एससी) पेज 141
6. एआईआर 2011 एससी पेज 1237
7. आरआरटी 2007(8) एससी 939
8. एआईआर 1998 एससी पेज 2276
9. 2009 आरबीजे पेज 810 एससी
10. आरआरटी 2013(2) पेज 887 एससी

प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक बहस में अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। श्री लाडू के नाना श्री चतुर्भुज पिता श्री नानजी गुर्जर के खातेदारी की भूमि हस्ब रसद जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 ग्राम भूरवाड़ा पटवार मण्डल पारडी तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 8 खसरा संख्या 66, 124, 128, 151, 152, 173, 176, 177, 185, 186, 187, 339, 342, 344/2 कुल किता 14 कुल क्षेत्रफल 45 बीघा 05 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 72, 139, 143, 167, 168, 192, 193, 194, 202, 203, 373, 376, 378 कुल किता 6.9700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। श्री लाडू के नाना श्री चतुर्भुज के दौ पुत्र श्री किशना एवं वगता थे, श्री चतुर्भुज के देहान्त उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा केवल श्री किशना के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 21 स्वीकृत कराया गया, जबकि उसके एक पुत्र श्री वगता के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं कराया गया। वगता की मृत्यु उपरान्त उसकी एक मात्र वारिस उसकी पुत्री धीसी थी और श्री लाडू धीसी का पुत्र है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने दोरान अधिकारी द्वारा वारिसान की जांच नहीं की गई। उक्त नामान्तरकरण केवल एक पुत्र के नाम स्वीकृत किया गया, न ही नामान्तरकरण से पूर्व वारिसान को सूचना दी गई। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी श्री वगता के वारिसान श्री लाडू को कभी नहीं थी, दिनांक 30.11.2021 को नकल लेने एवं कानूनी सलाह लेने उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील पेश की गई। उक्त नामान्तरकरण आरम्भ से ही शुन्य एवं प्रभावहीन है और उसके उपरान्त पारित अन्य नामान्तरकरण संख्या 51 निर्णय दिनांक 12.05.1974 एवं नामान्तरकरण संख्या 68 निर्णय दिनांक 24.12.1976 भी अपने आप में शुन्य प्रभावहीन है। आलौच्य नामान्तरकरण परोक्ष रूप से पारित किये गये थे, ग्राम पंचायत द्वारा सभी वारिसान की जांच नहीं की गई। किसी भी त्रुटिपूर्ण आदेश पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/143) **श्री हीरा गुर्जर बनाम श्री लाडू गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रमाणित पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि यह एक सक्षम कार्यालय द्वारा जारी किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी यह नहीं बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या त्रुटि रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल वारिसान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देश जारी किये है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसे में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। सर्वप्रथम हम मयाद के बिन्दु पर अपना विनिश्चय किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया और अंकित कारण संतोषप्रद होने से न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि अपीलार्थी के पक्ष में कोई हक व अधिकार तय किये गये है, यहा केवल न्यायहित में मयाद उपशमित की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ समक्ष वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्री लाडू द्वारा ग्राम पंचायत पारडी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 10.09.1961 पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 51 निर्णय दिनांक 12.05. 1974, पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 24.12.1976 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ द्वारा उक्त अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 11.09.2023 से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार, देवगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि मृतक चतुर्भुज पिता श्री नाना गुर्जर के विधिक वारिसान की जांच की जाकर समस्त हितबद्ध पक्षकारान को सुनकर बाद जांच नये सिरे से नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही की जावें। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली से यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत पारडी प.स. देवगढ़ द्वारा एक सजरा जारी किया गया। उक्त सजरे अनुसार मूल पुरूष श्री चतुर्भुज पिता नानजी के दो पुत्र श्री किशना एवं वगता थे। श्री किशना के वारिसान में पुत्र श्री छौगा (लाओलाद फौत), पुत्र हीरा, पुत्र पेमा (लाऔलाद फौत), पुत्र राजमल की मृत्यु, पुत्री लक्ष्मी, पुत्री बाली पत्नि शिवानी और इसके अलावा कोई वारिसान नहीं, अंकित गया। श्री वगता के वारिसान में पुत्री घीसी मृत्यु, पुत्र लाडु व पिता लच्छु अंकित किया गया। उक्त सजरे पर वार्ड पंच के हस्ताक्षर अंकित होकर सरपंच द्वारा सजरा जारी किया गया। इसी प्रकार सरपंच, ग्राम पंचायत पारड़ी द्वारा एक प्रमाण पत्र दिनांक 27.09.2021 जारी किया गया कि ‘‘श्रीमती घीसी पुत्री वगता पत्नि श्री लच्छु जाति गुर्जर निवासी डागंडी की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/143) **श्री हीरा गुर्जर बनाम श्री लाडू गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एक मात्र वारिस पुत्र लाडू पिता लच्छु ही है, इसके अलावा ओर कोई वारिस नहीं है।" उक्त प्रमाण पत्र पर वार्ड पंच एवं गवाहान के हस्ताक्षर भी अंकित है। उक्त सजरा एवं प्रमाण पत्र के खण्डन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो उसके द्वारा अपील मेमों में अंकित कथनों का समर्थन करते हो। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सजरा एवं प्रमाण पर संदेह व्यक्त किया जाना उचित नहीं है।

प्रकरण में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि श्री चतुर्भुज के दो पुत्र किशना एवं वगता थे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना वारिसान की जांच किये केवल एक पुत्र श्री किशना के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 21 निर्णय दिनांक 10.09.1961 स्वीकृत कर दिया जबकि वगता दुसरा विधिक पुत्र होने से उसके नाम पर भी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सभी वारिसान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः पारित नामान्तरकरण संख्या 21 निर्णय दिनांक 10.09.1961 एक त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण होकर निरस्तनीय है। इसके अनुसरण में पारित अन्य नामान्तरकरण प्रावधानोनुसार शुन्य होकर प्रभावहीन हो जाते हैं, जिसके प्रभावहीन होने पर अलग अलग अपील पेश करने के तकनिकी बिन्दु को देखा जाना औचित्यपुर्ण नहीं है। ऐसा नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय की सिद्वान्त के विपरित होने एवं सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान को नजरअदांज कर पारित किये जाने से त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण है। हिन्दु उत्तराधिकार कानून एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-40 के तहत पिता की सम्पत्ति में निर्वसीयती पिता की सम्पत्ति पर पुत्र एवं पुत्रियों का समान अधिकार होता है, इस विधिक स्थिति को हम स्वीकार करते है। यह भी प्रावधित है कि संतान का अपनी पिता/माता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार व हक निहित होता है। हस्तगत प्रकरण में यह न्यायालय पाता है कि श्री चतुर्भुज के दो पुत्र किशना एवं वगता थे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना वारिसान की जांच किये केवल एक पुत्र श्री किशना के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 21 निर्णय दिनांक 10.09.1961 स्वीकृत कर दिया जबकि वगता दुसरा विधिक पुत्र होने से उसके नाम पर भी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सभी वारिसान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः पारित नामान्तरकरण संख्या 21 निर्णय दिनांक 10.09.1961 एक त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण होकर निरस्तनीय है। जहां तक नामान्तरकरण की कार्यवाही में हक व अधिकार का प्रश्न है, निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि-

2021 आरबीजे पेज 670 में यह प्रतिपादित किया है कि - RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 135- Mutation proceedings are not record of right they are only fiscal in nature. Mutation proceedings do not confer any rights in the disputed land if non petitioner have any right in the disputed land best remedy available is to file suit for declaration and get their right decided in regular suit.

2002 आरआरटी (1) पेज 77 में यह प्रतिपादित किया है कि - RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 113- Mutation - Once the dispute about the right to succession was raised at the time of mutation, it was not opento revenue authorities to adjudicate upon the right to succession but the matter should have been referred to the civil court.

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/143) **श्री हीरा गुर्जर बनाम श्री लाडू गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नामान्तकरण की प्रविष्टि कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा हित सृजित नहीं करती है, केवल मात्र भौतिक प्रविष्टियां है और अपने अधिकारों, स्वामित्व व अन्य हकों के लिए समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु सक्षम होना बताया गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलार्थी को चाहिये कि वह अपने हक व अधिकार साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी घोषणा बाबत विहित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करे।

दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील पर मयाद का बिन्दु तय नहीं किये जाने पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा 63 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी। इस संबंध में हम न्यायिक दृष्टांतों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है:

RRI 2002(1) Page No. 648: Limitation Act, 1963 – Sec.5 – Condonation of delay – While considering the question of condonation of delay Court has to first consider the merits of the case – If case is good on merits, delay ought to have been condoned.

RRD 1996 Page 16 : Limitation Act, Section 3 – Mutation, initiated in reference of auction dt. 17.2.68 which was not final – Hence, the mutation is ab initio void – Impunged order of Tehsildar attesting the mutation was out of jurisdiction – There is no question of limitation for filing appeal against ab initio void mutation – Direction issued to Tehsildar.

RRD 1996 Page 457 : Limitation Act, Section 3 & 5 – Limitation does not apply to orders passed without jurisdiction and the same can be set aside at any time by any court.

RRD 1989 Page 45 : Rajasthan Land Revenue Act, Section 75 – Order which is void ab initio can be challenged at any time – Appeal filed after more than 18 years but immediately after knowledge, is not barred.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि आलौच्य नामान्तरकरण पारित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी-1 व उसके पूर्वाधिकारियों को सूना गया है या नहीं। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि तो नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से कही भी प्रकट नहीं होता है कि आलौच्य नामान्तरकरण पारित किये जाने से पूर्व श्री वगता एवं उसके वारिसान को कोई सूचना जारी की हो या उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। न्याय का एक प्रमुख सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति के प्रतिकुल आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकरण में आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व नहीं दिया जाना पाया ता है। अतः आलौच्य नामान्तरकरण के ज्ञान होने का सामान्य प्रश्न ही नहीं है, इस देरी के लिऐ उसे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। ऐसे में यह न्यायालय राजस्व नियमावली में प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में यह पाता है कि एक त्रुटिपूर्ण आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है और इस प्रकरण में आलौच्य नामान्तरकरण पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण है। अपीलार्थी को अपने अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई ठोस एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिसके कारण अपील स्वीकार की जा सके। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों में अंकित तथ्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/143) **श्री हीरा गुर्जर बनाम श्री लाडू गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त स्थिति में हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। परिणामतः **अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है** और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ का निर्णय दिनांक 11.09.2023 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	